दो रुपये TWO RUPEES कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.2 2रु.

146

माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र0क0 2018 निगरानी – 2720/2018/ मुरैना/भू.रा

रामखिलाडी पुत्र भोलाराम माहौर निवासी ग्राम टीकेतपुरा मौजा कमतरी हाल निवासी जग्गा चौराहा हरीसिंह की चक्की के पास अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0

........आवेदक

श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर अभि. द्वारा आज दि. 3-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22-5-18 नियत। रीडर क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-5-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Noted for RN 22/05/18 AA

बनाम

1–रामरतन पुत्र भोलाराम

2–रामनरेश पुत्र भोलाराम

3–वावूराम पुत्र भोलाराम

समस्त जाति माहौर निवासीगण ग्राम टीकेत का पुरा मौजा कमतरी तह0 अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0

4–रामवेटी पुत्री भोलाराम जाति माहौर निवासी नये थाने के पीछे अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0

5–रामजीलाल पुत्र पातीराम

6–नारायण पुत्र रामजीलाल

7–सूरज पुत्र रामजोलाल

8–पीतम पुत्र रामजीलाल

9–मीरा पुत्री रामजीलाल सभी जाति माहौर निवासीगण तुस्सीपुरा मुरैना तह0 व जिला मुरैना म0प्र0 ....मूल अनावेदकगण

10–मुस0 रामवती वेवा रामलक्षिन

11–राकेश पुत्र रामलक्षिन

12–राजवीर पुत्र रामलक्षिन

13–धर्मेन्द्र पुत्र रामलक्षिन

14–सुनीता पुत्री रामलक्षिन

RN Tomar 03/5/2018 ADG

2

15–अनीता पुत्री रामलक्षिन

16–सपना पुत्री रामलक्षिन सभी जाति माहौर निवासीगण टीकेत का पुरा मौजा कमतरी तह0 अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0

........तरतीवी अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्वाह जिला मुरैना म0प्र0 द्वारा प्र0क0 88/16–17 अपील माल मे पारित दिनांक 24.4.18 के।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से निगरानी धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के अधीन निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1– यह कि निगरानी के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि मूल अनावेदक गण द्वारा अधी0 न्यायालय के समक्ष एक अपील नायव तहसीलदार अम्वाह वृत दिमनी द्वारा प्र0क0 48/89–90/अ–46 मे पारित आदेश दिनांक 6.5.16 के विरूद्ध इस आशय की पेश की कि मौजा कमतरी के भूमि सर्वे क0 155 रकवा 4 वीघा 3 विस्वा, जिसका वंदोवस्त उपरांत सर्वे क0 319,320, 321 रक़वा 0.86 आरे स्थित है। जिसके आवेदक व अनावेदकगण भूमिस्वामी होकर कृषि कार्य कर रहे है। आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्र0क0 48/89–90/अ–46 के द्वारा आदेश दिनांक 6.5.16 को गलत तरीके से पारित करा लिया। जवकि आवेदक के पिता की दिनांक 30.10. 2000 को मृत्यू हो गयी। उसके वाद मौजा कमतरी की भूमि सर्वे क0 242/1,318,320,321,767/1 पर आवेदक एवं अनावेदकगण का नामांतरण हो चुका है। उसके वाद आवेदक द्वारा अधी0 न्यायालय मे उक्त भूमि सर्वे क0 318,320,321 पर अपना नामांतरण करा लिया। जिस आदेश की जानकारी मूल आवेदकगण को ग्रामीण चर्चा से दिनांक 25.5.17 को हयी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2720/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	